श्रमिक / सर्विस प्रोवाईडर ठेका निविदा प्रपत्र

मुख्य डेरी संयंत्र, इन्दौर एवं दुग्ध संघ की इकाई झाबुआ, बड़वानी, खरगौन, बुरहानपुर, सेंधवा, खण्डवा, फूलगॉवड़ी, चापड़ा, अम्बुआ, दूधी, बड़वाह, कन्नौद, टौंकखुर्द, सोनकच्छ, पेटलावद

(वर्ष **2021-22** एवं **2022-23**)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चॉदा तलावली, ए. बी. रोड़,
इन्दौर–453 771(म. प्र.)

क्रमांक :
मूल्य रू. 1,000/-

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चॉदा तलावली, ए.बी. रोड़, इन्दौर

मुख्य डेरी संयत्र, इन्दौर एवं मिनी दुग्ध संयंत्र तथा शीत केन्द्रों पर श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर प्रदाय हेतु निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र ऑन–लाइन विक्रय करने की तिथि एवं समय	दिनांक 08.05.2021 प्रातः 11.00 बजे से
2	निविदा ऑन–लाइन जमा करने की तिथि एवं समय	दिनांक 31.05.2021 दोपहर 02.00 बजे तक
3	निविदा की तकनीकी अर्हताएं (बीड़) खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 01.06.2021 दोपहर 02.00 बजे तक
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (Earnest Money)	रू. 12,00,000/- (रूपये बारह लाख मात्र)
5	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चॉदा तलावली, ए.बी. रोड़, इन्दौर
6	ठेका हेतु ''तकनीकी अर्हताएँ'' का प्रारूप	प्रपत्र–01
7	ठेके की सामान्य शर्ते	प्रपत्र–02
8	''भाव पत्र/दरे'' आन–लाइन प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र–03

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

<u>प्रपत्र–**1**</u>

:: तकनीकी अर्हताएँ ::

केवल चाहे गये दस्तावेज ही विवरण में प्रतिपूर्ति कर संलग्न करना है, इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं करें।

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण की पूर्ति करना आवश्यक है, खाली नहीं छोड़े और संलग्न नहीं भरें।
1	निविदाकार का नाम व पता	—————————————————————— —————————————————————— ——————————————————————
2	संस्था/फर्म होने की दशा में पंजीयन का प्रमाण–पत्र पेज नं. ——— से ——— तक	प्रमाण का विवरण ———————————— —————————————————————— नम्बर/तिथि ——————————————
3	यदि कोई पार्टनर हो तो उसका नाम व पता एवं पार्टनरशीप–डीड पेज नं. ——— से ——— तक	—————————————————————— —————————————————————— —————————————————————— ——————————————————————
4	कॉन्टेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एण्ड एबोलेशन) एम.पी. रूल्स 1973 के तहत् फार्म–VI में श्रम विभाग का जीवित लाईसेंस नंबर की छाया प्रति पेज नं. ——— से ——— तक	—————————————————————— —————————————————————— —————————————————————— ——————————————————————
5	ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति पेज नं. ——— से ——— तक	—————————————————————— —————————————————————— ——————————————————————
6	ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति पेज नं. ——— से ——— तक	—————————————————————— —————————————————————— ——————————————————————
7	GST कोड़ नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति पेज नं. ——— से ——— तक	—————————————————————— —————————————————————— ——————————————————————
8	PAN नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति। पेज नं. ——— से ——— तक	—————————————————————— —————————————————————— ——————————————————————
9	प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्था का नाम एवं पता, जिसमें विगत् तीन वर्षों से 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में ठेके पर कम–से–कम 500 से 800 श्रमिक प्रतिदिन एक ही संस्था में प्रदाय किये जा रहे हो। नियोक्ता का आदेश एवं कार्य सफलतापूर्वक का प्रमाण –पत्र एवं श्रमिकों के नाम, पिता का नाम, पता सहित प्रत्येक वर्षवार सूची। पेज नं. ——— से ——— तक	संस्था का नाम —————————————— —————————————————————— वर्ष 2017-18 में श्रमिकों की संख्या -------- वर्ष 2018-19 में श्रमिकों की संख्या -------- वर्ष 2019-20 में श्रमिकों की संख्या -------- प्रमाण–पत्र का विवरण : —————————— —————————————————————— ——————————————————————

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण की पूर्ति करना आवश्यक है, खाली नहीं छोड़े और संलग्न नहीं भरें।
10	कॉलम नं.–8 में उल्लेखित श्रमिकों का भविष्य निधि अंशदान शत्–प्रतिशत् वर्षवार जमा होने का प्रमाण, EPF के चालानों की छाया प्रति एवं राशि जमा होने का कंफर्मेशन रिपोर्ट प्रत्येक चालान के साथ होना अनिवार्य है। पेज नं. ––– से ––– तक	वर्ष 2017-18 के चालान पेज ---- से ---- तक वर्ष लेखा पत्रक, वर्ष 2018-19 के चालान पेज ---- से ---- तक वर्ष लेखा पत्रक, वर्ष 2019-20 के चालान पेज ---- से ---- तक वर्ष लेखा पत्रक,
11	कॉलम नं.–8 में उल्लेखित श्रमिकों का कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत्–प्रतिशत् वर्षवार जमा होने का प्रमाण, ESI की राशि के चालानों की छाया प्रति। पेज नं. ––– से ––– तक	वर्ष 2017-18 के चालान पेज ---- से ---- तक वर्ष 2018-19 के चालान पेज ---- से ---- तक वर्ष 2019-20 के चालान पेज ---- से ---- तक
12	वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष कम –से–कम रू. 25.00 करोड़ तथा उस से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए। पेज नं. –– से ––– तक	वर्ष 2017-18 में रू. ————————— करोड़ है। वर्ष 2018-19 में रू. ————————— करोड है। वर्ष 2019-20 में रू. ————————— करोड है।
13	निविदाकार/एजेंसी का नेटवर्थ कम–से–कम रू. 5.00 करोड़ प्रतिवर्ष से कम नहीं होना चाहिए। चार्टर्ड अकाऊंटेंट द्वारा सत्यापित होना चाहिए। पेज नं. –– से ––– तक	वर्ष 2017-18 में रू. ————————— करोड़ है। वर्ष 2018-19 में रू. ————————— करोड है। वर्ष 2019-20 में रू. ————————— करोड है।
14	कारखाना एवं श्रम विभाग में प्रकरण /वाद आदि विचाराधीन/लम्बित न होने का शपथ–पत्र दिनांक ——————— **शपथ–पत्र।** पेज नं. –– से ––– तक	**नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा किया गया शपथ–पत्र दिनांक ————————**
15	क्या निविदाकर्ता का इन्दौर शहर में कार्यालय है। यदि हॉ तो पूर्ण पते का उल्लेख करें। पेज नं. –– से ––– तक	पता – ———————————————————— ———————————————————— ————————————————————
16	क्या आपकी संस्था इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है। यदि हॉ तो पूर्ण विवरण का उल्लेख करें। कब से कब तक कार्य आदेश संलग्न करें। पेज नं. –– से ––– तक	दिनांक से ——— से दिनांक ——— तक स्थान ———————————————— ———————————————— दिनांक से ——— से दिनांक ——— तक स्थान ———————————————— ————————————————

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण की पूर्ति करना आवश्यक है, खाली नहीं छोड़े और संलग्न नहीं भरें।
17	क्या आपकी संस्था भोपाल/उज्जैन /जबलपुर/ग्वालियर/बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है। यदि हॉ तो वहॉ का कार्य आदेश संलग्न करें। पेज नं. ——— से ——— तक	कार्य अवधि दिनांक ———————— से दिनांक ———————— तक, स्थान :———————————————— ———————————————— ————————————————
18	क्या उक्त संस्थाओं में ई.पी.एफ., ई.एस. आई. एवं जी.एस.टी. इत्यादि का कोई विवाद जो पंजीकृत/विचाराधीन है। यदि विवाद नहीं है तो नोटरी का शपथ–पत्र 100/- रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करें। पेज नं. —— से ——— तक	**शपथ–पत्र दिनांक ————————————** ———————————————— ————————————————
19	निविदा के साथ जमा धरोहर राशि (EMD) का विवरण 45 दिन की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। E.M.D. जमा की या छूट हेतु एम.एस. एम.ई. प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। पेज नं. —— से ——— तक।	विवरण ———————————————— ———————————————— ———————————————— **प्रमाण का विवरण** राज्य ————————————————
20	यदि आपकी एजेंसी को किसी संस्था के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो उसकी जानकारी हॉ/या नहीं। शपथ–पत्र दें। पेज नं. —— से ——— तक।	**शपथ–पत्र दिनांक ————————————** ———————————————— ————————————————

नोट :–

1) किसी भी संस्था एवं दुग्ध संघ द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो उसकी निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

2) ऑन–लाइन निविदा पर ही विचार किया जावेगा तथा चाहे गये दस्तावेज ही संलग्न करें, अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं करें। ऑन–लाइन प्राप्त ही दस्तावेजों को मान्य किया जायेगा।

3) उपरोक्त ऑन–लाइन जमा किये गये दस्तावेजों की छाया प्रति Self attested हार्ड कॉपी भी बन्द लिफाफे में इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।

4) प्रपत्र क्रमांक–1 ''तकनीकी अर्हताएँ'' से सम्बन्धित दस्तावेज पृथक लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत किये जावें। लिफाफे के ऊपर ''प्रपत्र–1'' ''तकनीकी अर्हताएँ'' लिखा जावें।

5) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर कभी–भी ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (Earnest Money)/सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी।

6) एम.एस.एम.ई. (म. प्र. राज्य में स्थापित संस्था) का प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने पर धरोहर राशि (EMD) में छूट रहेगी, लेकिन सुरक्षा निधि में कोई छूट नहीं रहेगी।

7) धरोहर राशि ऑन–लाइन जमा करने के उपरांत मूल प्रति तकनीकी अर्हता प्रपत्र–एक के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

8) प्राप्त निविदाओं की सर्वप्रथम तकनीकी अर्हताएं (बीड़) खोली जावेगी, तकनीकी अर्हता जो पूर्ण करते हैं, उनकी ऑन–लाइन दरें खोली जाकर मान्य की जावेगी।

9) कोई भी तकनीकी अर्हताऍं (बीड़) को स्वीकार करना या सभी को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित है।

10) श्रमिक ठेका मुख्य डेरी संयंत्र, इन्दौर एवं मिनी डेरी संयंत्र तथा शीत केन्द्रों पर श्रमिक/लिपिकीय सर्विस प्रोवाईडर प्रदाय करना है।

11) श्रमिक ठेका आवश्यकता होने पर मुख्य डेरी संयंत्र का एवं शीत केन्द्रों का पृथक–पृथक ठेका आवंटन भी किया जा सकता है।

12) बीड़ में समान दर प्राप्त होने पर लॉटरी पद्धति से निर्णय लिया जावेगा।

निविदाकार का नाम : ––––––––––––––––––––––
पूर्ण पता : ––––––––––––––––––––––––––––––
मोबाईल नम्बर : ––––––––––––––––––––––––––
दूरभाष नम्बर : –––––––––––––––––––––––––––

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

प्रपत्र–2

निविदा/ठेके की सामान्य शर्ते

1	ठेके पर श्रमिक प्रदाय व अन्य आवश्यक सेवाओं के लिये कर्मियों की सेवा प्रदाय करने हेतु म. प्र. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था से विधिवत् पंजीकृत एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था /एजेंसी जिसके पास किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्था में श्रमिक प्रदाय का विगत् 03 वित्तीय वर्षों का अनुभव हो और जिसने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018--19 एवं 2019-20 में कम–से–कम 500 श्रमिक एक ही संस्था में प्रतिदिन प्रदाय किये हों, ऐसे निविदाकारों की निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा।
2	धरोहर राशि (Earnest Money) रू. 12,00,000/- (रूपये बारह लाख) निविदाकार को ऑन–लाइन निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अस्वीकृत होने के पश्चात् बिना ब्याज के लौटाई जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने पर निर्धारित तिथि से कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो धरोहर राशि (Earnest Money) जप्त कर दूसरे निविदाकर्ता को कार्य का ठेका निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य शुरू होने पर धरोहर राशि (Earnest Money) की राशि सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि में समायोजित की जावेगी। एम.एस.एम.ई. भारत सरकार द्वारा परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रेशन तकनीकी अर्हता के प्रस्तुत करने पर प्रदेश के उद्योगों को निविदा के साथ जमा धरोहर राशि (Earned Money) के भुगतान से छूट रहेगी, लेकिन निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा निधि निविदा की शर्त क्रमांक 25 के तहत् जमा कराकर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
3	किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
4	निविदा (Tender) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तर में सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी एवं वित्तीय औपचारिक प्रस्ताव।
5	निविदा प्रपत्र (Tender Document) से अभिप्रेत है, ऐसे समस्त दस्तावेज जिनमें किसी सेवा की आवश्यकता, मात्र, तकनीकी विवरण एवं विशिष्ठयॉ निर्धारित मापदण्ड, कार्यस्थल की आवश्यक जानकारी हों।
6	यदि किसी भी निविदाकर्ता को निविदा में भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय अर्द्ध शासकीय संस्था द्वारा **काली सूची में डाला गया है तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा,** जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा ठेका निरस्त किया जाकर जमा सुरक्षा निधि/ प्रतिभूति जप्त कर ली जावेगी। इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7	निविदा से सम्बन्धित अनिवार्य दस्तावेज को बन्द लिफाफे में प्रस्तुत किये जावें।
8	मुख्य डेरी संयंत्र एवं दुग्ध शीत केन्द्र पर श्रमिक ठेके पर प्रतिमाह दुग्ध संघ पर लगभग श्रमिक भुगतान प्रक्रिया में प्रतिमाह रू. 1.15 करोड़ वित्तीय भार आता है, के आधार पर ही दरें/सेवा शुल्क प्रस्तुत की जायेगी। यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो उन्हीं निविदाकारों के प्रतिनिधियों एवं गठित समिति के समक्ष लॉटरी के माध्यम से निविदाकार का (निविदा) का चयन किया जाकर आवंटन आदेश जारी किये जायेंगे।
9	निविदाकर्ता द्वारा 0% प्रतिशत् सेवा शुल्क/सर्विस चार्ज की दरें निविदा में प्रस्तुत करने पर निविदा अमान्य की जावेगी। ठेके के समस्त व्ययों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सर्विस चार्ज दर प्रस्तुत करते हुए सर्विस चार्ज के रूप में प्राप्त राशि के विरूद्ध उनके द्वारा प्रस्तावित व्यय विवरण की तालिका भी प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा। जैसे – सुपरविजन, ऑफिस व्यय अन्य व्यय आदि।
10	ई–निविदा में सम्मिलित निविदाकारों में प्रथम एवं द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की अमानत राशि को रोक कर शेष निविदाकारों की अमानत राशि 30 दिवस में बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी एवं द्वितीय निविदाकार की दो माह के बाद वापिस की जायेगी।

11	निविदा दस्तावेजों में परिणामी संविदा से उत्पन्न विवादों यदि कोई होगा, तो उसका निराकरण अध्यक्ष, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर द्वारा किया जायेगा। परिणामी संविदा की व्याख्या भारतीय कानूनों के तहत् रहेगी।
12	न्यूनतम (सेवा शुल्क एवं सर्विस चार्ज) निविदाकार को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के डेरी संयंत्र में 531 एवं संयंत्र/शीत केन्द्र एवं अन्य कार्यों हेतु लगभग 225 श्रमिकों की आवश्यकता होने पर एवं कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या समय–समय–पर घटाई–बढ़ाई जा सकती है।
13	निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे से अनुबंध–पत्र हेतु प्रस्तुत रूपये 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा और अनुबंध–पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके पश्चात् ही ठेकेदार का प्रथम देयक स्वीकृत कर भुगतान किया जावेगा।
14	ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security Money) की राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा/अनुबंध की शर्तों का एवं समय–समय–पर दिये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश के क्रियान्वयन में विलम्ब होता है, सेवा प्रदाय करने में विफल होता है तो ऐसी स्थिति में ठेका निरस्त करते हुए दुग्ध संघ अपने स्त्रोत अन्य ठेकेदार से श्रमिक को रखा जाकर उनसे कार्य लिया जाकर मेहनताना या जो भी भुगतान करेगा अर्थात् कार्य पर भी खर्च/व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से की जाकर निम्नानुसार अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा :– क्रं. | विलम्ब की अवधि | क्षतिपूर्ति राशि 1. | एक माह तक | लागत् का 1 प्रतिशत् 2. | 1 से 2 माह तक | लागत् का 2 प्रतिशत् 3. | 2 माह से अधिक | लागत् का 5 प्रतिशत्
15	कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एण्ड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के पास ठेका श्रमिक प्रदाय हेतु जीवित लायसेंस होना आवश्यक है तथा उसे समस्त कानूनों का अधिनियमों व प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा व भविष्य में होने वाले संशोधनों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को संभाग के समस्त जिलों का श्रमिक प्रदाय हेतु लायसेंस कार्य आदेश प्राप्त होने के पश्चात् एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में कार्य आदेश निरस्त करते हुए अमानत राशि राजसात की जावेगी।
16	निविदाएँ खोलने के पश्चात् यदि प्रबधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्क समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ताओं को नेगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। निविदा में सामान्यतः दर के सम्बन्ध में नेगोशिएशन नहीं किया जायेगा, आवश्यकता होने पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार ही नेगोशिएशन की कार्यवाही की जायेगी।
17	श्रमिक ठेका प्रथमतः दो वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। निविदा/अनुबंध की अवधि पूर्ण होने पर तथा कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध की अवधि में अतिरिक्त एक वर्ष तक की वृद्धि पूर्व अनुमोदित प्रचलित दर/शर्ते पर बढ़ाई जायेगी, इस प्रकार ठेका अवधि कुल तीन वर्ष रहेगी।
18	निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियॉ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लम्बित/विचाराधीन नहीं होने का **नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र संलग्न करना होगा। शपथ–पत्र असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।** ई.पी.एफ., ई.एस.आई. व जी.एस.टी. की राशि का भुगतान इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के नाम से ही होना चाहिए अन्य किसी संघ के नाम से नहीं होना चाहिए।

	निविदाकार यदि इन्दौर शहर से बाहर का है तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, इन्दौर कार्यालय का सब–कोड़ (Sub Code) लेना आवश्यक है, जिससे कि, श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सकें तथा चिकिसा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिक ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौत्रा श्रमिक ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित श्रमिक को भुगतान किया जायेगा।
19	प्रदेश के उद्योगों को प्राथमिकता दिए जाने के उद्देश्य से वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा क्रमांक एफ 6-14/2012/अ–11 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2015 के माध्यम से जारी मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम–2015 में उल्लेख अनुसार छूट प्रदान की जा सकेगी।
20	(अ)– किसी भी प्रकरण में सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रथमतः प्रबंध संचालक, एम.पी.सी.डी.एफ. को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। (ब)– निराकरण न होने की स्थिति में आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। (स)– निविदाकार/ठेकेदार एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर आर्बिट्रेशन एक्ट अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। अध्यक्ष, दुग्ध संघ, एम.पी.सी.डी.एफ. का प्रतिनिधि तथा आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि की संयुक्त समिति को आर्बिट्रेशन हेतु प्रकरण प्रेषित किया जायेगा।
21	निविदा/अनुबंध की कोई भी शर्तो/नियम का उल्लंघन म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम–1965 के तहत् कदाचरण माना जायेगा।
22	श्रमिक ठेकेदार को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् प्रतिदिन प्रति पाली में प्रबंधन की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा द्वारा ठेकदेार को यथासमय सूचना मौखिक दी जावेगी। तदानुसार ठेकेदार को व्यवस्था करनी होगी। यदि व्यवस्थ करने में ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
23	श्रमिक ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् दस दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की जो ई.एस.आई. की परिधि में नहीं आते हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैद्य होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पॉलिसी का नवीनीकरण तुरन्त कराना होगा। श्रम नियमानुसार समस्त वर्तमान प्रावधानों व भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन ठेकेदार को करना आवश्यक होगा। प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना होगा। इस बाबत् शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिक रू. 100/- तक की पेनल्टी ठेकेदार पर लगाई जायेगी।
24	किसी भी श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिकों की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी कार्य हेतु प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
25	निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार को **सुरक्षा निधि** (Security Deposit) **रू. 1.15 करोड़** अनुबन्ध के समय 50% राष्ट्रीयकृत बैंक ग्यारंटी (डिमाण्ड ड्राफ्ट, RTGS जो) **''इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**

	इन्दौर'' के संयुक्त नाम से दो वर्ष छः माह या अनुबंध अवधि के अतिरिक्त छः माह बढ़ी हुई अवधि की देना होगी। एफ.डी.आर. (FDR) ठेकेदार द्वारा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के पक्ष में डिस्चार्ज/ रिलीज (Discharge/Release) करके संघ में जमा कराना होगा। अनुबंध की अवधि में वृद्धि किये जाने पर तद्नुसार एफ.डी.आर. (FDR) का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा एवं 50% राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट या RTGS के माध्यम से नगद जमा करना होगी। तदोपरांत प्रदायित श्रमिकों को भुगतान होने वाली न्यूनतम मजदूरी की तीन माह की राशि यदि उक्त जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) से अधिक होती है तो **अंतर की राशि 03 माह में किश्तों में** सुरक्षा निधि (Security Deposit) स्वरूप जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात् संघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण–पत्र एवं कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय एवं जी.एस.टी. आदि से संपूर्ण ठेका अवधि की निरीक्षण टीप (एन.ओ. सी.) संघ में जमा कराने के पश्चात् ही वापस की जावेगी। राष्ट्रीयकृत बैंक ग्यारंटी/ डिमाण्ड ड्राफ्ट, RTGS द्वारा जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
26	ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की हाजरी के अनुसार समय–समय–पर पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन अधिनियम –1948 के अनुसार मजदूरी का भुगतान अनिवार्यतः रूप से संघ में नियोजित ठेका श्रमिक का बैंक खाते के माध्यम से हर माह की सात (07) तारीख के पूर्व पृथक से करना होगा, उसमें अन्य संस्थानों के श्रमिक नहीं होना चाहिए, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में श्रमिक ठेकेदार को सभी ठेका श्रमिकों के बैंक एकाउंट खोलना होगा तथा श्रमिकों के वेतन व स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान की जवाबदारी ठेकेदार की होगी। प्रबंधन इस सम्बन्ध में जवाबदार नहीं होगा। श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित् करने के उद्देश्य से ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी। अगर वेतन भुगतान प्रतिमाह 07 तारीख तक नहीं किया जाता है कि तो रू. 100/- प्रति श्रमिक आर्थिक दण्ड किया जायेगा।
27	प्रत्येक पाली में ठेकेदार या उसके पर्यवेक्षक का संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है, जिससे कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सकें। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो प्रति पाली अधिकतम रूपये 1,000/- तक अर्थदण्ड किया जा सकेगा। पाली के प्रारम्भ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
28	ठेकेदार द्वारा रखे गये श्रमिकों को फेक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजरी–कार्ड, परिचय–पत्र, अवकाश–कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड ठेकेदार को पूरा रखना होगा एवं समय–समय–पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मॉग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
29	संयंत्र परिसर में मदिरापान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य में लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर संबंधित श्रमिक को पारिश्रमिक देय नहीं होगा तथा ऐसे श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध रू. 1,000/- प्रति श्रमिक अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकेगा, जिसकी वसूली संघ द्वारा ठेकेदार के देयक में से की जा सकेगी। दोषी पाये गये श्रमिकों को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
30	संघ परिसर में श्रमिक द्वारा धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुऐ पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रू. 100/- प्रति श्रमिक का दण्ड आरोपित किया जायेगा। श्रमिक द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायें।

31	यदि ठेकेदार के श्रमिक/कार्यालय में कार्यरत् ठेका लिपिकीय श्रमिक की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या संघ की सम्पत्ति को क्षति होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी और लिपिकीय कार्यरत् अमले से इसका शपथ–पत्र लेकर जिम्मेदारी उसकी तय् करना होगी या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ–कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं तो प्रबंधन पक्ष द्वारा क्षति की राशि का दो गुणा एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुणा अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। उसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी तथा इसके सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे कार्य में लिप्त श्रमिक को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
32	श्रमिक ठेकेदार को ठेके के अंतर्गत प्रदत्त श्रमिक अच्छे आचरण एवं चरित्र के देना होंगे। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हों तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हों। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो श्रमिक ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित् करना होगा कि, आपराधिक प्रवृत्ति सज़ायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया जाता है तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक रूपये 1,000/- तक अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा।
33	ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक हड़ताल में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है तो उसकी सेवाएँ तत्काल श्रमिक ठेकेदार को समाप्त करना होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नही किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमानत/धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रू. 1,000/- तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा।
34	प्रबंधन के निर्देशानुसार ठेकेदार को उसके द्वारा श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी तथा तत्सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (प्रत्येक छः माह में) टिटनेश का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। ठेकेदार के श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गम्भीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधाएँ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी, ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।
35	ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा निश्चित् की गई रंग की गणवेश (दो बुशर्ट, दो पेंट एक जोड़ी जूते) ठेकेदार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना होगी। ऐसे कार्य जैसे :– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पादन व पैकिंग किया जाता है, वहॉ पर कार्यरत् श्रमिक को एप्रान, टोपी, मास्क आदि भी ठेकेदार को स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी। यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रमिक ठेकेदार से रू. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा। निर्धारित गणवेश के बिना संघ में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अंगूठी, घड़ी, बिंदी, छाता, चश्मा पहनकर कार्य नहीं करेगा, अन्यथा रू. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा।
36	समय–समय–पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर ठेकेदार को तद्नुसार श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान करना होगा। ठेकेदार को उसके कर्मचारियों पर लागू होने वाले समस्त श्रम अधिनियमों व कारखाना अधिनियमों तथा अन्य वैद्याानिक नियमों का पालन करना

	अनिवार्य है। यदि ठेकेदार इन नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी।
37	संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा संघ द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रू. 50/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा।
38	ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की **05 तारीख तक** गत् माह में किये गये कार्यों/लगाये श्रमिकों का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर शाखावार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रूप से प्रबधन को प्रस्तुत करना होगा, देयकों के साथ मुख्य पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है तो प्रत्येक माह के देयक अंकेक्षण स्वीकृति पश्चात् प्रत्येक माह की 15 तारीख के अंदर वित्त शाखा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की **25 तारीख तक** प्रबंधन की शर्तों के अन्तर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. के जमा चालानों के साथ ठेका श्रमिक की सत्यापित सूची जमा किये जाने के उपरांत ही देयकों का भुगतान किया जायेगा।
39	आयकर का PAN नंबर तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 (कर निर्धारण वर्ष 2019-20) हेतु जमा किये गये रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगी। अत्यंत आवश्यक होने पर यदि ठेकेदार को देयक अग्रिम दिया जाता है तो अग्रिम पर भी TDS कटौत्रा नियमानुसार वित्त शाखा द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टी.डी.एस. कटौत्रा कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष के समाप्ति उपरान्त ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौत्रे का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
40	ठेकेदार को उसके द्वारा दुग्ध संघ में नियोजित रखे गये श्रमिकों का भविष्य निधि सब–कोड़ नम्बर दुग्ध संघ का पृथक से लेकर श्रमिकों के वेतन से प्रतिमाह काटा गया अंशदान की राशि एवं नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान की राशि कुल राशि भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में प्रत्येक माह निर्धारित समय पर जमा कराकर चालान की छाया प्रति एवं श्रमिक की सूची/ECR प्रत्येक माह देयक के साथ प्रस्तुत करेंगे। श्रमिकों का प्रतिमाह EPF/ESI का अंशदान नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी बीमा कार्यालय में जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। प्रतिमाह जमा चालान की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारी की सूची एवं ECR की कॉपी एवं कन्फर्मेन्स रिपोर्ट **<u>प्रतिमाह संघ कार्यालय में जमा करनी होगी।</u>** जिसमें दुग्ध संघ के अतिरिक्त अन्य संस्थान के कर्मचारियों का अंशदान सम्मिलित नहीं होना चाहिए। दुग्ध संघ के शाखा प्रभारी द्वारा सत्यापित मासिक उपस्थिति–पत्रक से परीक्षण होने के उपरांत उक्त चालान की जमा राशि की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। मूल चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि, ''इस चालान की कुल राशि रू. ---------- में **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ को प्रदाय किये गये कुल ------ (संख्या)** श्रमिको का नाम सम्मिलित होकर उनके वेतन से काटी गई EPF राशि का अंशदान तथा नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान की राशि जमा है। **इस आशय का मूल चालान के पीछे प्रमाण– पत्र देना अनिवार्य होगा तथा EPF/ESI के (ONLINE) ऑन–लाइन जमा किये गये चालानों के लिए Computeries Online श्रमिकों की सूची प्रस्तुत करें, जिसमें श्रमिकों के नाम एवं EPF/ESI नम्बर HIGH LIGHT किये जायें। इस हेतु श्रमिक ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य**

	नहीं होगा तथा अधिनियमित कटौत्रे समय पर जमा करने की जवाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। मजदूरों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में ठेकेदार विफल हो जाता है या भविष्य निधि, ESI एवं GST आदि जमा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से भू–राजस्व की बकाया की भॉति वसूल कर सकेगा। श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक ठेका श्रमिक के नाम से EPF खाता खोलकर उसमें EPF अंश जमा करना होगा। EPF एवं ESI के कटौत्रे का ब्यौरा प्रतिमाह की वेतन स्लीप में उल्लेख करना होगा। **सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा।** ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के चालानों के लिये केवल एक माह की छूट प्रदान की जायेगी अर्थात् प्रस्तुत किये गये देयकों के अतिरिक्त उसके पूर्व के महिनों के लिये ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की पूर्ण राशि के जमा किये गये चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी।
41	ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम, संविदा श्रमिक अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत वॉछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मॉगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रतिमाह श्रमिक ठेकेदार को श्रमिकों की सूची व सभी रजिस्टर मासिक देयकों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिए अन्यथा आर्थिक शास्ति आरोपित की जावेगी।
42	ठेका अवधि में ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार वेतन भुगतान कर उसमें ई.पी.एफ./ई.एस.आई./जी.एस.टी. एवं श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा कर उसमें नियोक्ता के अंशदान की राशि ठेकेदार द्वारा मिलाकर भुगतान की जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
43	चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली तीनों पार्टी (पक्षों) क्रमशः वितरक, श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एजेंसी से बराबर–बराबर राशि वसूली जायेगी। साथ ही दूध वाहन में चढ़ाने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को हटाया जायेगा। यदि एक पैकेट से उन्नीस पैकेट तक (9 किलो 500 ग्राम) अतिरिक्त पाये जाने पर दूध के मूल्य का पॉच गुणा व एक क्रेट या उससे अधिक पाये जाने पर दूध के मूल्य का 50 गुणा अर्थदण्ड लगाया जायेगा। इस संबंध में पंचनामे में संयंत्र परिसर में उपस्थित एक अधिकारी जो कि, प्रबंधक अथवा उससे वरिष्ठ स्तर का हों, के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
44	बोनस/ई.पी.एफ./ई.एस.आई. अधिनियम एवं अन्य वैधानिक दायित्वों जैसे :– G.S.T. इत्यादि के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों को भुगतान करने का संपूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी तथा इस पर किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज देय नहीं होगा। ई.पी.एफ. चालानों के साथ श्रमिकों की ऑनलाईन ई.पी.एफ. सूची भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा G.S.T. की राशि का भुगतान समय पर न होने पर श्रमिक ठेकेदार पर राशि रू. 50,000/- का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
45	निविदा शर्तो एवं अनुबन्ध में भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय् शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबन्ध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में तीन माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा, जिसका पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
46	श्रमिक ठेकेदार के सम्बन्ध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये सन्दर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों

	/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
47	श्रम नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम ठेका श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी, जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। **ठेकेदार को श्रमिकों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा, जिसके प्रमाण हेतु सत्यापित उपस्थिति पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है।** उपस्थिति पत्रकों में कुल कार्य दिवस प्रतिमाह 26/27 दर्शाये जाने चाहिये।
48	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्री–पैक शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज पैकेट वाले पैकेट्स रखे जाते हैं एवं इस प्रकार की शिकायतें बाज़ार से प्राप्त होती है तो श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अर्थदण्ड भी आरोपित किया जावेगा, साथ ही संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।
49	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर PAN नंबर, कर्मचारी भविष्य निधि कोड़ नम्बर, कर्मचारी बीमा कोड़ नम्बर एवं जी.एस.टी. का कोड़ नम्बर की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
50	यदि किसी श्रमिक के पास वैद्यानिक लायसेंस (वाहन चालन) है एवं उससे वाहन चालक के रूप में कार्य लिया जाता है तो ऐसे श्रमिक द्वारा लायसेंस की छाया प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर उसे कुशल श्रमिक की दर से भुगतान किया जावेगा। इसी प्रकार यदि कोई श्रमिक आई.टी.आई./ कम्प्यूटर प्रशिक्षित है तो उसे प्रबंधन से अनुमोदन पश्चात् कुशल श्रमिक की दर से भुगतान किया जा सकेगा।
51	श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली में निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि, वह प्रत्येक श्रमिक की पाली नियमानुसार बदले ऐसा नहीं पाया जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
52	यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाये, तो ऐसी परिस्थिति में ठेकेदार का दायित्व है कि, वे वर्क्समेन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का खर्च ठेकेदार को देना होगा। इस हेतु ठेकेदार को प्रति श्रमिक रू. 1.00 लाख (एक लाख) की वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट के तहत् बीमा कम्पनी से दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी ठेकेदार को लेना होगी।
53	ठेकेदार का दायित्व होगा कि, प्रत्येक शाखा में प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित् करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर इन श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित् करनी होगी, अन्यथा श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही कर आर्थिक दण्ड भी लगाया जायेगा।
54	ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन शाखावार तैयार कर रखना होगा। आवश्यकता पड़ने पर मांगने पर प्रशासन शाखा को उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।
55	ठेकेदार को संघ के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑफिस पर कारखाना अधिनियम के अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के

	अधिकृत कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
56	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत् सुरक्षा ठेकेदार को श्रमिक ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।
57	ठेकेदार को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
58	ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य तीन माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।
59	उपरोक्त लिखी हुई शर्तों व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो ठेका रद्द किया जा सकेगा एवं सुरक्षा निधि (Security Deposit) की राशि जप्त कर ली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड भी आरोपित किया जायेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
60	किसी भी वाद–विवाद की सुनवाई इन्दौर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी।
61	यदि ठेकेदार का मुख्यालय इन्दौर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं हैं तो उसे इन्दौर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, उससे प्रबंधन द्वारा पत्राचार स्थानीय कार्यालय के माध्यम से किया जाऐगा।
62	दुग्ध शीत केन्द्रों पर ठेकेदार के सुपरवाईजर को माह में कम–से–कम दो बार मिनी संयंत्र/शीत केन्द्र पर भेंट देकर श्रमिकों को कार्य के प्रति मार्गदर्शित करते हुए तथा उनके गतिविधियों पर सुपरवीजन कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना आवश्यक होगा।
63	मुख्य डेरी संयंत्र, इन्दौर कार्यालय तथा मिनी डेरी संयंत्र एवं शीत केन्द्रों पर लगभग कार्य की आवश्यकतानुसार निम्नानुसार श्रमिक लगते हैं :–

	मुख्य डेरी संयंत्र	सर्विस प्रोवाईडर	उच्च कुशल	कुशल	अर्द्ध कुशल	अकुशल	कुल श्रमिक
	01) प्रशासन	-	-	02	01	-	03
	02) वित्त	-	04	-	01	-	05
	03) एम.आई.एस.	-	02	01	-	01	04
	04) यांत्रिकी क्रय	03	-	-	01	-	04
	05) विपणन	-	16	04	-	01	21
	06) क्षेत्र संचालन	01	06	04	-	-	11
	07) समन्वय + बी.एम.सी.	-	-	02	-	-	02
	08) कार्यालय स्वीपर	-	-	-	-	02	02
	09) अध्यक्ष कार्यालय	-	-	02	-	03	05
	10) गार्डन (प्लांट)	-	-	01	-	06	07
	11) महाप्रबंधक (सं. संचा.)	-	-	01	-	-	01
	12) सिविल	01	-	03	-	02	06
	13) भण्डार	-	02	03	01	03	09
	14) यातायात + गैरेज	-	01	52	-	62	115
	15) रेफ्रीजरेशन	02	06	02	-	02	12
	16) गुण नियंत्रण	-	08	12	03	10	33
	17) आर.एम.आर.डी.	-	-	-	01	06	07
	18) प्री–पैक	-	-	08	-	68	76
	19) इंडिजिनीयस प्रोडक्ट	-	-	06	-	19	25
	20) प्रोसेस	-	-	07	03	12	22
	21) घी	-	01	07	02	27	37

	मुख्य डेरी संयंत्र	सर्विस प्रोवाईडर	उच्च कुशल	कुशल	अर्द्ध कुशल	अकुशल	कुल श्रमिक
	22) उत्पादन + तौलकांटा	10	05	08	02	02	27
	23) यांत्रिकी + मेन्टेनेंस	01	11	05	-	04	21
	24) बॉयलर	03	02	01	05	07	18
	25) आई.एस.ओ.	-	-	-	-	02	02
	26) प्लांट स्वीपर	-	-	-	02	07	09
	27) पावडर प्लांट + मीठा पावडर	-	01	05	04	23	33
	28) गारबेज कलेक्शन	-	-	-	-	06	06
	कुल योग :–	**21**					**524**

	दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र	सर्विस प्रोवाईडर	उच्च कुशल	कुशल	अर्द्ध कुशल	अकुशल	कुल श्रमिक
	01) झाबुआ	-	02	08	04	17	31
	02) बड़वानी	-	02	13	01	02	18
	03) खरगौन	-	02	14	02	12	30
	04) बुरहानपुर	02	01	01	02	03	09
	05) सेंधवा	01	02	13	02	20	38
	06) खण्डवा	01	01	04	-	05	11
	07) फूलगॉवड़ी	-	-	07	-	04	11
	08) चापड़ा	-	-	11	01	02	14
	09) अम्बुआ	-	-	-	-	02	02
	10) दूधी	-	01	02	-	04	07
	11) बड़वाह	-	-	04	01	07	12
	12) कन्नौद	-	01	07	07	-	15
	13) टौंकखुर्द+देवास	-	02	05	-	03	10
	14) सोनकच्छ	-	-	07	04	-	11
	15) पेटलावद	-	-	04	-	02	06
	कुल योग :–	**04**					**225**

उपरोक्त श्रमिक की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि होती रहती है।

64) निम्न मद में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

क्रं.	विवरण	रिमार्क
1	मजदूरी (न्यूनतम वेतन अधिनियम–1948 के प्रावधानानुसार देय न्यूनतम मजदूरी)	
2	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान	भरे गये चालान की प्रमाणित प्रति
3	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अशंदान	भरे गये चालान की प्रमाणित प्रति
4	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस	भुगतान पत्रक
5	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि	
6	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अशंदान	
7	कारखाना अवकाश का ओव्हर–टाईम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान	
8	ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा पॉलिसी की प्रीमियम	

नोट :–उक्त मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 से 64 तक सभी शर्तें मैंने पढ़ी और समझी है। उक्त समस्त शर्ते स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रपत्र–3 सर्विस चार्ज दर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्थान :–
दिनांक :–

निविदाकार के हस्ताक्षर : .....
नाम ————————————————————
पत्र व्यवहार का पता ————————————————
————————————————————————
दूरभाष नंबर/मो. नं. ————————————————

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

मुख्य डेरी संयंत्र, इन्दौर एवं दुग्ध संघ की इकाई में प्रदाय श्रमिक का ''भाव–पत्र/दरें''

<u>प्रपत्र–3</u>

(अ) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दरें ऑन–लाइन प्रस्तुत करें, जिसका भुगतान संघ द्वारा निविदाकार (ठेकेदार) को किया जावेगाः–

क्रं.	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत् में
1	सुपरवीजन एवं सर्विस चार्ज	

नोट :–

1	ठेकेदार को मानव दिवस के आधार पर भुगतान किया जावेगा।

स्थान :–
दिनांक :–

श्रमिक ठेकेदार
नाम :– ————————————————————
————————————————————

पत्राचार हेतु पता :– ————————————————
————————————————————

दूरभाष/मो.नम्बर : ————————————————
————————————————————